रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082025-265214
CG-DL-E-05082025-265214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947
No. 486] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 529(अ).—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग तथा इसके संरक्षण को बढ़ावा देने और अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का भी प्रावधान है (जिसे आगे "ब्यूरो" कहा जाएगा)

जबकि उक्त अधिनियम की धारा 26 में धारा 13क, धारा 14, धारा 15 और धारा 52, धारा 27 और धारा 28 के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में शास्ति का प्रावधान है।

और जबकि, शास्ति लगाने संबंधी कठिनाइयों से बचने के लिए, ब्यूरो को राज्य आयोग द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष गैर-अनुपालन मामलों का पता लगाने, सत्यापन करने, मूल्यांकन करने और प्रस्तुत करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक या समयोचित हो गया है।

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 के खंड (प) और धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, ब्यूरो के परामर्श से, अधिनियम के अनुपालन और प्रवर्तन के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, और प्रारूप नियम एतद्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाते हैं; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा;

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो उप सचिव, ऊर्जा संरक्षण, कमरा संख्या 400 (बी), चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकते हैं और ई-मेल पते fca.kartik@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025 कहा जाएगा है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

(1) ये नियम निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होंगे, नामतः : -

(क) धारा 13 क में उल्लिखित व्यक्ति;
(ख) धारा 14 के खंड(ग) में उल्लिखित विनिर्माता या आयातक, धारा 14 के खंड (ङ), (ढ) और खंड (भ) में विनिर्दिष्ट नामित उपभोक्ता,
(ग) उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई अन्य व्यक्ति या संस्था।

3. मानदंड और मानक

(1) ब्यूरो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) किसी भी कमी की स्थिति में, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (भ) के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए मानदंड और मानक ऐसी कमी की सीमा तक लागू होंगे, और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत किसी भी राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों और मानकों के साथ संचयी रूप से लागू नहीं होंगे;

"बशर्ते कि किसी भी कम उपलब्धि के लिए शास्ति उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगाई जाएगी।"

स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए, एतदद्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अंडर अचीवमेंट" से तात्पर्य नियम 2 के तहत उल्लिखित संस्थाओं द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी से है।

4. रिपोर्टिंग

(1) ब्यूरो निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में नियम 2 में दिए गए अनुसार संस्थाओं से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा, नामतः :-

(i). उक्त अधिनियम की धारा 13क;

(ii). धारा 14 के खंड (ग) और (घ);

(iii). धारा 14 के खंड (ज), (झ), (ट), और (ठ); और

(iv). धारा 14 के खंड (ढ) और (भ)।

(2) नियम 2 में उल्लिखित संस्थाएं समय-समय पर ब्यूरो को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

5. सत्यापन

ब्यूरो अनुपालन का सत्यापन करेगा तथा आवश्यकतानुसार अनुपालन के प्रमाणीकरण के लिए केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का अधिकार क्षेत्र

(1) नीचे दी गई तालिका के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13क, 14 और 15 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर निम्नलिखित व्यक्ति न्याय निर्णय के लिए सक्षम होंगे:

तालिका - 1

(क) धारा 14 के खंड (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट उपकरण, उपस्कर और वाहन।	उस राज्य आयोग का न्यायनिर्णायक अधिकारी जहां विनिर्माता या आयातक का पंजीकृत मुख्यालय स्थित है।
(ख) धारा 14 के खंड (ङ) और (ढ) के तहत नामित उपभोक्ताओं के रूप में निर्दिष्ट उद्योग।	उस राज्य आयोग का न्यायनिर्णायक कार्यालय जहां उद्योग या प्रतिष्ठान स्थित है।
(ग) धारा 14 के खंड (भ) के तहत नामित उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट गैर-जीवाश्म खपत।	उस राज्य आयोग का न्यायनिर्णायक अधिकारी जहां नामित उपभोक्ता का उद्योग या प्रतिष्ठान स्थित है, या उस स्थिति में पंजीकृत मुख्यालय जहां अनुपालन होल्डिंग कंपनी स्तर पर किया जाता है।

(2) नियम 2 के अंतर्गत उल्लिखित संस्थाओं द्वारा देय सभी शास्ति अधिनियम की धारा 20 में विनिर्दिष्ट केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में जमा की जाएंगी, जिसमें से 90 प्रतिशत नीचे दी गई तालिका के अनुसार राज्य सरकार को और 10 प्रतिशत नीचे दी गई तालिका के अनुसार केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जाएंगी:

तालिका- 2

(क) धारा 14 के खंड (ख) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपकरण, उपस्कर और वाहन।	अनुपालन अवधि के दौरान विशिष्ट उपकरण, उपस्कर या वाहन के विनिर्माता या आयातक द्वारा कुल बिक्री में उसके हिस्से के अनुपात में प्रत्येक राज्य की समेकित निधि में धनराशि जमा की जाएगी।
(ख) धारा 14 के खंड (ङ), (ढ) के तहत नामित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट उद्योग	उस राज्य की समेकित निधि जहां उद्योग या प्रतिष्ठान स्थित है।
(ग) धारा 14 के खंड (भ) के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट गैर-जीवाश्म उपभोग।	उस राज्य की समेकित निधि जहां नामित उपभोक्ता का उद्योग या प्रतिष्ठान स्थित है।

(3) अनुपालन के लिए वसूल की गई कोई भी राशि, जो धारा 26 के अंतर्गत कवर नहीं की गई है, केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में जमा की जाएगी।

7. शास्ति

(1) ब्यूरो स्वयं अथवा नामित एजेंसियों के माध्यम से धारा 26 के अंतर्गत अनुपालन का सत्यापन करेगा।

(2) ब्यूरो स्वयं या नामित एजेंसियों के माध्यम से उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को अनुपालन में विफल रहने पर नोटिस जारी करेगा।

(3) ब्यूरो या नामित एजेंसी अपने एक या अधिक अधिकारियों या कानूनी पेशेवरों को न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष अनुपालन में विफलता के मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करेगी।

(4) राज्य आयोग द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही समाप्त करेगा तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा।

8. ब्यूरो का उत्तरदायित्व

ब्यूरो इन नियमों के लिए विनियम तैयार करेगा और कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।

[फा.सं. 9/2/2023-ईसी-भाग(4)]

आकाश त्रिपाठी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, 4th August, 2025

G.S.R. 529(E).— The Energy Conservation Act, 2001 (hereinafter referred to as the "Act") was enacted to promote and mandate efficient use of energy and its conservation across all sectors of the economy. The said Act also provides for the Bureau of Energy Efficiency (hereinafter referred to as "the Bureau");

And whereas section 26 of the said Act provides penalty in case of failure to comply with the provisions of section 13A, section 14, section 15, section 52, section 27 and section 28.

And whereas, in order to avoid the difficulties of imposing of penalty, it has become necessary or expedient to empower the Bureau to detect, verify, assess and represent non-compliance cases before the adjudicating officer appointed by the State Commission.

Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 56 read with clause (u) of sub-section 2 of section 13 and clause (c) of sub-section (1) of section 20 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau, proposes to make rules for compliance enforcement of the Act, and the draft rules is hereby published for information to all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of this notification as published in the Gazette of India, and are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Deputy Secretary, Energy Conservation, Room No. 400(B), 4th Floor, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 and may be sent at the e-mail address at fca.kartik@gov.in.

Draft Rules

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Energy Conservation (Compliance Enforcement) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Applicability

(1) These rules shall apply to the following entities, namely: -

(a) persons mentioned in section 13A;

(b) manufacturers or importers mentioned in the clause (c) of section 14, designated consumers specified in the clause (e), (n), and clause (x) of section 14; and

(c) any other person or entity covered under the said Act.

3. Norms and Standards

(1) The Bureau shall be responsible for compliance enforcements with the norms and standards provided by the Central Government.

(2) In the event of any shortfall, the norms and standards provided by the Central Government under clause (x) of section 14 of said Act shall apply to the extent of such shortfall, and not cumulatively with any norms and standards provided by any State Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act, 2003:

"Provided that the penalty for any underachievement shall be imposed in accordance with the provisions of the said Act."

Explanation –For removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "underachievement" mean short fall in achievement of targets by the entities mentioned under rule 2.

4. Reporting

(1) The Bureau shall obtain the necessary information from the entities as provided in rule 2, in relation to compliance with the following provisions namely:-

(i) section 13A of the said Act;

(ii) clauses (c) and (d) of section 14;

(iii) clauses (h), (i), (k), and (l) of section 14; and

(iv) clauses (n) and (x) of section 14.

(2) The entities mentioned in rule 2, shall periodically submit reports to the Bureau.

5. Verification

The Bureau shall verify compliance and submit a report to the Central Government for certification of compliance, as required.

6. Jurisdiction of State Electricity Regulatory Commissions

(1) The following shall be competent for adjudging for fails to comply with the provisions of sections 13A, 14 and 15 of the said Act as per table given below:-

Table – 1

(a) Appliances, equipment and vehicles specified under clause (b) of section 14.	Adjudicating Officer of the State Commission where the registered head office of the manufacturer or importer is located.
(b) Industries specified as designated consumers under clause (e) and (n) of section 14.	Adjudicating Officer of the State Commission where the industry or establishment is located.
(c) Non-fossil consumption specified for designated consumers under clause (x) of section 14.	Adjudicating Officer of the State Commission where the industry or establishment of the designated consumer is located, or the registered head office in case where compliance is undertaken at the holding company level.

(2) All penalties payable by the entities mentioned under rule 2, shall be creditedinto the Central Energy Conservation Fund referred in section 20 of the Act, from which ninety percent shall be transferred to the State Government as given below, and ten percent to the Central Government as per table given below:-

Table – 2

(a) Appliances, equipment and vehicles specified under clause (b) of section 14.	Consolidated Fund of each State in proportion of its share of the total sales by the manufacturer or importer of the specific appliance, equipment, or vehicle during the compliance period.
(b) Industries specified as designated consumers under clause (e), (n) of section 14.	Consolidated Fund of the State where the industry or establishment is located.
(c) Non-fossil consumption specified for designated consumers under clause (x) of section 14.	Consolidated Fund of the State where the industry or establishment of the designated consumer is located.

(3) Any amount recovered towards compliance, not covered under section 26, shall be credited to the Central Energy Conservation Fund.

7. Penalty

(1) The Bureau on its own or through designated agencies shall verify compliance under section 26.

(2) The Bureau on its own or though designated agencies shall service notices to the contravening entities for fail to comply.

(3) The Bureau or the designated agency shall authorise one or more of its officers or legal practitioners to represent the case for fail to compliance before the Adjudicating Officer.

(4) The Adjudicating Officer, appointed by the State Commission, shall conclude the proceedings and impose penalties in accordance with the provisions of the said Act.

8. Bureau's Responsibility

Bureau shall make regulations and issue guidelines for implementation of these rules.

[F.No. 9/2/2023-EC-Part(4)]
AKASH TRIPATHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.